योजना के अन्तर्गत श्रमदान शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। विशेष सेवा शिविरों के प्रमाण-पत्र से बी०एड० के प्रवेश में विश्वविद्यालय द्वारा वरीयता प्रदान की जाती है।

एन.सी.सी.

कॉलेज में एन.सी.सी. की गर्ल्स यूनिट प्रारम्भ कर दी गयी है, जो 31(G) UP Battalion NCC, Gr. Noida की यूनिट के रुप में महाविद्यालय में संचालित है।

क्रीड़ा परिषद्

कालेज में छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलों के संचालन की उचित व्यवस्था है। खेलों को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रतिवर्ष क्रीड़ा परिषद का गठन किया जाता है जिसमें खेलों में रुचि लेने वाले प्राध्यापक तथा खिलाड़ी प्रतिनिधि होते हैं। खेलों के सम्बन्ध में कालेज की अपनी प्रतिष्ठा है।

नोटः- छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वार्षिक पत्रिका में प्रकाशन के लिये स्वरचित मौलिक लेख / कविता ही प्रस्तुत करें।

छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश एवं आचार संहिता

1. कॉलेज में छात्रों को पूर्ण अनुशासन बनाये रखना चाहिए। नियम की अवहेलना करने वाले, कॉलेज की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाले अथवा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता के कार्य करने वाले छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी किया जा सकता है।
2. कॉलेज के प्रांगण में प्राचार्य की अनुमति एवं स्वीकृति के बिना कोई भी सभा संगठित अथवा सम्बोधित नहीं की जा सकेगी। यदि कोई छात्र इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
3. कॉलेज भवन को गन्दा करने अथवा दीवारों आदि पर लिखने के कार्य को अनुशासनहीनता का कार्य समझा जाएगा। ऐसे कार्य में प्रवृत्त होने वाले छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
4. महाविद्यालय परिसर में पान/तम्बाकू/गुटका/धूम्रपान का सेवन पूर्णतया वर्जित है।
5. **महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन लाना वर्जित है। मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी तथा मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाएगा।**
6. ऐसे सभी कार्यों से पृथक रहें जिनसे कॉलेज जीवन अशान्त हो और कॉलेज की बदनामी हो। यदि कोई तत्व अशान्ति पैदा करता है तो छात्रों को ऐसे तत्वों की स्पष्ट निन्दा करनी चाहिए।
7. कॉलेज में अपने साथ अपना परिचय-पत्र अवश्य लाएँ। यह कॉलेज के किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी देखा जा सकता है।
8. पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें निश्चित अवधि के अन्दर लौटा देनी चाहिए अन्यथा विलम्ब दण्ड देना होगा।
9. निर्धारित तिथि तक अपना शुल्क अवश्य जमा करा दें।
10. कॉलेज कार्यालय में किसी कार्य से जाने पर पूर्ण शान्ति बनाए रखें।

परिचय-पत्र

सभी छात्र कॉलिज परिसर में पहचान के लिए अपना परिचय-पत्र गले में पहने रहेंगे अन्यथा उन्हें बाहरी छात्र समझकर उचित कार्यवाही की जाएगी।

उपस्थिति

1. कोई भी छात्र उस समय तक विश्वविद्यालय की परीक्षा के किसी भी विषय में नहीं बैठ सकेगा, जब तक उस विषय में सैद्धान्तिक (थ्यौरी) तथा प्रयोगात्मक (प्रैक्टीकल) कक्षाओं में अलग-अलग 75% उपस्थिति न हो।
2. उपस्थिति में 5% छूट संस्था के प्राचार्य महोदय तथा विशेष परिस्थिति में 10% छूट कुलपति महोदय स्वयं दे सकते हैं।
3. उपस्थिति की गणना शिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से होगी चाहे प्रवेश किसी भी तिथि को लिया हो।
4. यदि कोई छात्र 15 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहेगा अथवा निर्धारित समय पर कॉलेज शुल्क देने में असमर्थ रहेगा, तो उसका नाम कॉलेज की नामावली से काट दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी को अपनी उपस्थिति सम्बन्धित प्राध्यापकों से प्रति माह के प्रथम सप्ताह में ज्ञात कर लेनी चाहिए।

11. अंक-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों आदि की सत्य प्रतिलिपियों को प्रमाणित कराने के लिए निर्दिष्ट समय पर कॉलेज कार्यालय में सम्बन्धित लिपिक से सम्पर्क करें, जिसके द्वारा मुख्य प्रॉक्टर से सत्य प्रतिलिपियों को प्रमाणित करा दिया जाएगा। प्रमाणित प्रतिलिपियों की जिस दिन आवश्यकता हो उससे एक दिन पूर्व मूल एवं प्रतिलिपियों को कॉलेज कार्यालय में दे दें।

12. रेलवे कन्सेशन के लिए निर्दिष्ट समय पर कॉलेज कार्यालय में सम्बधित लिपिक से सम्पर्क करें, जिसके द्वारा कन्सेशन के प्रपत्रों को सम्बन्धित अधिकारी से हस्ताक्षरित करा दिया जाएगा। ऐसे प्रपत्रों को भी जिस दिन आवश्यकता हो उससे एक दिन पहले हस्ताक्षर हेतु कॉलेज कार्यालय में दे दें।

13. जिन छात्रों को कॉलेज से छात्रवृत्ति के चैक मिलते हैं वे बैंक की कॉलेज शाखा में अपना खाता खोल लें तथा किसी प्राध्यापक या किसी अन्य व्यक्ति से अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करा कर बैंक से अपने चैक का भुगतान प्राप्त करें।

14. अपनी साईकिल, मोटर साईकिल या स्कूटर आदि का ताला लगाकर नियत स्थान पर रखें। अपनी साईकिल या मोटर साईकिल या स्कूटर आदि की सुरक्षा के लिए छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

15. अध्ययन कक्षों, बरामदों और पुस्तकालयों में शान्ति बनाए रखें, अनावश्यक कोलाहल न करें। खाली घंटों में छात्रों को अपना खाली समय रीडिंग रूम या पुस्तकालय में व्यतीत करना चाहिए।

16. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना या इस कार्य के लिए सहायता देना गम्भीर अपराध माना जाएगा।

17. उपस्थिति के निर्धारित 75% से कम होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः विद्यार्थी अपनी उपस्थिति का स्वयं ध्यान रखें।

18. अपने प्राध्यापकों के साथ आदर का भाव बनाए रखें, तभी आप उनसे आवश्यक ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपने साथी छात्रों एवं छात्राओं के प्रति भी सद्‌भावनापूर्ण एवं शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें।

19. महाविद्यालय के छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अध्ययन एवं अनुशासन की दृष्टि से महाविद्यालय समय में अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों को कॉलेज प्रांगण में साथ नहीं लाएँगे।

20. **किसी भी साधारण नियमित कार्य के लिए अथवा किसी भी सामान्य समस्या के समाधान के लिए सीधे प्राचार्य के कार्यालय में न पहुँचें, उस कार्य से सम्बन्धित अधिकारी प्राध्यापक से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें।**

प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह
प्राचार्य

Uniform :

Boy	
Shirt -	White
Pant -	Navy Blue
Sweater/Blazer-	Navy Blue

Girls	
Kurta -	White
Salwar -	Navy Blue
Dupatta -	Navy Blue
Sweater/Blazer -	Navy Blue

महाविद्यालय में समस्त छात्र/छात्राओं को निम्नानुसार निर्धारित यूनिफार्म में आना अनिवार्य होगा।
उपयुक्त यूनिफॉर्म सत्र 2023-24 के प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ड्रेसकोड है। स्नातक/परास्नातक द्वितीय वर्ष हेतु ड्रेसकोड पूर्ववता होगी।

सेल्फी : महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग करना एवं सेल्फी लेना पूर्णतया वर्जित है। मोबाइल का प्रयोग करने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्बन्धित समस्त छात्र/छात्राओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके अंतर्गत प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है।

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय/शासन के नियमों, शुल्क आदि में यदि कोई परिवर्तन, संशोधन या परिवर्द्धन होता है तो, पूर्व उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इन उप-नियमों को भी कार्यान्वित किया जाएगा, जो सभी के लिए मान्य होगा।